प्रेस विज्ञप्ति

27.06.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने भारतीय पुलिस सेवा (असम पुलिस सेवा से पदोन्नत) के सेवानिवृत्त अधिकारी प्रशांत कुमार दत्ता, जो उप पुलिस महानिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, तथा उनके परिवार के सदस्यों एवं समूह कंपनियों से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वितीय परंतुक के तहत लगभग 53.28 करोड़ रुपये के कुल मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करते हुए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों से संबंधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(ख) के तहत सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक शाखा पुलिस थाना, असम पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच प्रारंभ की।

पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, प्रशांत कुमार दत्ता ने अपनी सेवा अवधि 1992 से 2019 के दौरान अपनी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में अत्यधिक असंगत परिसंपत्तियां अर्जित कीं। अधिकारी तथा उनकी पत्नी की लगभग 7.23 करोड़ रुपये की घोषित आय तथा लगभग 9.04 करोड़ रुपये के घोषित व्यय के मुकाबले लगभग 77.21 करोड़ रुपये मूल्य की अघोषित परिसंपत्तियां पाई गईं। अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनकी आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में असंगत परिसंपत्तियों का शुद्ध मूल्य लगभग 79.01 करोड़ रुपये युक्तियुक्त रूप से निर्धारित किया गया।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत की गई जांच से पता चला कि इस प्रकार अर्जित अपराध से अर्जित आय का धन शोधन किया गया तथा उसे तीन निकट-नियंत्रित कंपनियों अर्थात मेसर्स महामाया एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ईशान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स मुरारी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बेदाग संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया। जांच के दौरान इन कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय अस्तित्वहीन पाए गए। जांच में यह स्थापित हुआ कि परिवार के सदस्यों तथा उक्त कंपनियों के खातों में 14,74,99,091/- रुपये की कुल अज्ञात नकद राशि प्रविष्ट कराई गई तथा काल्पनिक अंशधारकों, कोलकाता स्थित आभासी (शेल) संस्थाओं तथा परिपत्र बैंक अंतरणों के माध्यम से धनराशि की परतें (लेयरिंग) तैयार करने के उपरांत उसे होटल परिसंपत्तियों तथा मुंबई स्थित फ्लैटों में समाहित (इंटीग्रेट) किया गया। तीनों कंपनियों के अंशधारकों के रूप में दर्शाए गए व्यक्ति अधिकांशतः ऐसे पाए गए जिनके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था। इनमें काल्पनिक अथवा केवल नामधारी (बेनामी/नेम-लेंडिंग) अंशधारक भी शामिल थे, जिनकी आय का कोई ऐसा स्रोत नहीं था जो उनके नाम दर्शाई गई अंश पूंजी के अनुरूप हो, तथा वे उक्त धनराशि के स्रोत के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहे।

उल्लेखनीय है कि प्रशांत कुमार दत्ता वर्ष 2019 में उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके पश्चात, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, अर्थात् उनके सेवानिवृत्त होने के बाद तथा मूल प्राथमिकी/ईसीआईआर पहले से दर्ज हो जाने के उपरांत भी, उन्होंने मेसर्स ईशान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के 3,70,000 अंशों को काल्पनिक एवं केवल नामधारी (नेम-लेंडिंग) अंशधारकों के नाम से अपने नाम पर हस्तांतरित करा लिया, जिसके परिणामस्वरूप वे कंपनी में आधे से अधिक अंशधारिता के साथ सबसे बड़े अंशधारक बन गए। यह

उल्लेखनीय है कि मेसर्स ईशान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड वही कंपनी है, जो चार में से तीन होटलों की लाभकारी मालिक है।

अनंतिम कुर्की आदेश के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है- "होटल भार्गव", पलटन बाजार, गुवाहाटी; "भार्गव इन", जी.एस. रोड, पलटन बाजार, गुवाहाटी; "होटल भार्गव", ईशान आर्केड, लोखरा चारियाली, गुवाहाटी; "होटल भार्गव ग्रैंड", बेटकुची, गुवाहाटी; तथा "समर्था दीप", अंधेरी (पश्चिम), मुंबई में स्थित दो आवासीय फ्लैट।

आगे की जांच जारी है।

(होटल भार्गव ग्रैंड, बेटकुची, गुवाहाटी)

(होटल भार्गव, ईशान आर्केड, लोखरा चारियाली, गुवाहाटी)

(होटल भार्गव, दीदार मार्केट, पलटन बाजार, गुवाहाटी)

(भार्गव इन, ईशान मार्केट, पलटन बाजार, गुवाहाटी)